राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	152/2017 सीताराम / छीतला हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 225	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/3/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व अप्रार्थीगण/रेस्पो. इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक सीताराम वगैरा ग्राम ठीकरिया गुजरान के खसरा नम्बर 451, 453, 454, 541, 542, 1509, 1527, 1529 लगायत 1541 में बहामी तकासमें के अनुसार खसरा नम्बर 1538 व अन्य खसरा नम्बरों के खातेदार काश्तकार है। उक्त खसरा नम्बर 1538 में प्रार्थीगण का पुख्ता मकान बना हुआ है जहाँ प्रार्थीगण पूर्वजो के समय से निवास करता आ रहा है व अन्य में आने जाने के लिये रास्ता डामर रोड से लगवा गिट्टी रोड जो खसरा नम्बर 384 एवं 401 चारागाह में से क्योरियो वाली ढाणी में जाती है तथा इस ढाणी की रोड से लगवा गिट्टी रोड जो खसरा नम्बर 1566 में होकर उक्त प्रार्थीगण के खेत तक जाती है। जो अप्रार्थीगण की भूमि है प्रार्थीगण की उक्त भूमि में आने जाने के लिये रास्ता चाहिये जो सब खातेदारों के तथा गाँव वालो के आने जाने में काम आयेगा इसे नक्शे में भी दर्शाया गया है। उक्त चाहा गया रास्ता वर्षो से प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से कदीमी रास्ते के रूप में समस्त लोगो के काम आ रहा है किन्तु प्रार्थीगण इस कदीमी को रिकार्ड में भी दर्ज करवाना चाहते है। पुरे गाँव वाले व प्रार्थीगण के आवागमन, अपनी जमीन के उपयोग-उपभोग के लिये इस खसरा नम्बर 1566 में से 30 फिट का रोड आवश्यक है जो प्रार्थीगण की आत्यन्तिक आवश्यकता है इसके अलावाऔर कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा इस प्रस्तावित रास्ते के बनने से प्रार्थीगण अपना उपयोग-उपभोग कर सकेंगे। प्रार्थना पत्र के अन्त में इस्तदुआ की गयी कि मौके स्थिति की जाँच रिपोर्ट मंगवाकर चाहा गया 30 फिट का रास्ता खसरा नम्बर 1566 में से उपलब्ध करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के तलवी हेतु नोटिस जारी किये एवं तहसील से रिपोर्ट तलब की। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ	

राजस्व अपील प्राधिकारी (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म 152/2017	सीताराम / लीला हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर अपने आदेश दिनांक 16/03/2017 में यह अंकित करते हुये की प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 384,401 की भूमि जो की चारागाह है, में से 30 फिट चौड़ाई का रास्ता चाहा गया है, चारागाह भूमि में से रास्ता स्वीकृति की आधिकारिता इस न्यायालय को नही है, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ख़ारिज फरमा दिया गया| जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण/अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी|

अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ख.न. 1538 में प्रार्थी/अपीलान्ट्स के पुख्ता मकान बने हुये है, जिसमे वह निवास करता है, प्रार्थी/अपीलान्ट्स के रिहायशी मकान एवं अन्य सहखातेदारों की भूमि में आने-जाने हेतु रास्ता चाकसू-लालसोट डामर रोड से लगवा गिट्टी रोड नरेगा में राज्य सरकार द्वारा निर्मित कराई गयी जो ख.न. 384 एवं 401 चरागाह में होकर क्यारियों वाली ढाणी में जाती है, उक्त क्यारियों वाली ढाणी की गिट्टी रोड ख.न. 1566 में से होकर प्रार्थी/अपीलान्ट्स की सहखाते की आराजी ख.न. 1538 में जाती है, जिसका उपयोग प्रार्थी/अपीलान्ट्स अपने पूर्वजो के जीवनकाल से करते आ रहे है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी/अपीलान्ट्स के खाते की आराजी में आने-जाने हेतु उपलब्ध नही है, अत: ख.न. 1566 में से 30 फिट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम किया जावे| अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत ठीकरिया गुजरान वार्ड न. 8 द्वारा दिनांक 15/04/2016 को प्रेषित की गयी मौका रिपोर्ट की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि उक्त रिपोर्ट में सरपंच ग्राम पंचायत ने भी ख.न. 401 में से होते हुये ख.न. 1566 में से प्रार्थी के निवास एवं सहखाते की आराजीयात में आने जाने हेतु पूर्वजो से रास्ता चालू है उक्त रिपोर्ट के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16/03/2017 में मात्र यह अंकित करते हुये कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सीताराम / छीली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
152/2017		

ख.न. 384 व 401 चरागाह भूमि है, चरागाह भूमि होने की वजह से रास्ते की स्वीकृति का अधिकार नही होने से प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र ख़ारिज कर दिया गया | अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने निवेदन किया कि जब ग्राम पंचायत स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि ख.न. 384 व 401 में से ख.न. 1538 में जाने आने हेतु ख.न. 1566 से होते हुये जो कि रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजीयात है, रास्ता मौजूद है, मात्र राजस्व रिकार्ड में उसका पुख्ता इन्द्राज होना शेष था, जिसे नही करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलती की है, अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जाकर सन्दर्भित रास्ता कायम किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश जारी किये जावे |

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अप्रार्थी/रेस्पो. के खाते की आराजीयात ख.न. 1566 में से रास्ता चाहा गया है जबकी मौके पर अन्य रास्ता उपलब्ध है जिसका उपयोग प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा पूर्व में किया जाता रहा है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सही तौर पर ख़ारिज किया गया है क्युकी चरागाह आराजीयात ग्राम पंचायत के खाते की आराजीयात होती है, जिसमे रास्ता कायम किये जाने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही था | अत: अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | यह तथ्य सही है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 384 एवं 401 में से होते हुये खसरा नम्बर 1566 के जरिये उसके खाते की आराजीयात ख.न. 1538 में जाने आने हेतु रास्ते का उल्लेख किया है, जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किये जाने का निवेदन किया गया है | अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत ठीकरिया गुजरान के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि

(मोहर: अपील प्राधिकारी, जयपुर (राजस्थान))

(हस्ताक्षर) 4/17/2
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सीताराम / लीला हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
152/2017		

चरागाह की आराजीयात में से होते हुये भूमि ख.न. 1566 में से प्रार्थी/अपीलार्थी के निवास एवं सहखाते की आराजीयात तक आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग प्रार्थी/अपीलार्थी पूर्वजो के समय से ही करते चले आ रहे है। जहाँ तक उक्त रास्ते को पुख्ता कायम किये जाने का प्रशन है इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत से सहमति कर सकता है। साथ ही जैसा की अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी उल्लेख किया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को उसके खाते की आराजीयात तक आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस सन्दर्भ में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कोई उल्लेख नही किया गया है।अतः उपरोक्त दोनों बिन्दुओ पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाँच की जाकर प्रकरण का पुनः निस्तारण आवश्यक समझा जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/03/2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों में उल्लेखित बिन्दुओ का निस्तारण करते हुये पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/03/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर